

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- मुकेश कुमार शर्मा

प्रकरण संख्या:- 76/2015

तारीख दायरा-08.07.2015

तारीख निर्णय-15.05.2017

उनवान

श्रीमती सुनता कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह झाला राजपूत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
.....वादीया

बनाम

1. श्री महेन्द्रसिंह पिता भगवानलाल राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री रामसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री निर्भयसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री संतोषसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री केसरसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
7. मु. गुलाबी बेवा प्रतापसिंह राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री कालुसिंह पिता वरदा राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री नाहरसिंह पिता वरदा निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
10. श्रीमती भुरीबाई पुत्री वरदा राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
11. श्रीमति पुष्पाबाई पुत्री वरदा राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
12. श्रीमति सुन्दरबाई पुत्री वरदा राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
13. मु. भंवरीबाई पत्नी हमेरा राजपुत निवासी नायों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
14. श्री कालुसिंह पिता भगसिंह राजपुत निवासी वणी तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमति पुष्पाबाई पत्नी कालुसिंह राजपुत निवासी शोभावास तहसील गोगुन्दा।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा नायों का गुडा पटवार क्षेत्र चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 340 से 345, 351 से 355 किता 11 कुल रकबा 0.8838 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादीया एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। भूमि सहखातेदारी में स्थित होने से वादीया अपने हिस्से की भूमि का विकास भी नहीं कर पा रही है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगण


को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तवा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादीया को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद पेश करना आवश्यक होने से वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहने से वादी की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी द्वारा अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये हैं। वादग्रस्त भूमि के वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादीया वादग्रस्त भूमि का विभाजन चाहती हैं। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को भी विभाजन में कोई आपत्ती नहीं है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार गोगुन्दा को मौके पर जाकर विभाजन करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। विभाजन योजना प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने जाहिर किया कि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी सभी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे सभी पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नहीं है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नायों का गुडा की आराजी नम्बर 340 मी. रकबा 0.1154, 341 रकबा 0.0300, 342 रकबा 0.1950, 343 रकबा 0.0700, 344 रकबा 0.0500, 345 रकबा 0.1150, 351 रकबा 0.0700, 352 रकबा 0.0888, 353 रकबा 0.0400, 354 मी. रकबा 0.0250 कित्ता 10 कुल रकबा 0.7992 है। भूमि का महेन्द्रसिंह पिता भगवानलाल 1071/7992, रामसिंह, निर्भयसिंह, संतोषसिंह, केसरसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह, गुलाबी बेवा प्रतापसिंह 1473/7992, नाहरसिंह, भुरीबाई, पुष्पाबाई, सुन्दरबाई पिता वरदा 2356/7992, मु. भंवरी बेवा हमेरा 988/7992, कालुसिंह पिता वरदा 392/7992, पुष्पाबाई पत्नी कालुसिंह निवासी शोभावास 531/7992, कालुसिंह पिता भगसिंह निवासी वणी 531/7992 प्यारसिंह पिता हमेरा राजपुत 650/7992 को आराजी नम्बर 354/1 रकबा 0.0150, 355 रकबा 0.0500 कित्ता 2 कुल रकबा 0.0650 है। भूमि का इदरीश खान पिता मोहम्मद हनीफ 1/2, शब्बीर खान पिता घीसु खान मुसलमान 1/2 को एवं आराजी नम्बर 340/1 रकबा 0.0196 है। भूमि का सुगना कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह झाला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- मुकेश कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76/2015

वादी पक्ष

श्रीमति सुगना कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह झाला निवासी नायों का गुडा

प्रतिवादी पक्ष


श्री महेन्द्रसिंह पिता भगवानलाल राजपुत निवासी नायो का गुडा वगैरह

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से- श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 15.05.2017 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादीगण डिक्री किया जाता है एवं मौजा नायों का गुडा की आराजी नम्बर 340 मी. रकबा 0.1154, 341 रकबा 0.0300, 342 रकबा 0.1950, 343 रकबा 0.0700, 344 रकबा 0.0500, 345 रकबा 0.1150, 351 रकबा 0.0700, 352 रकबा 0.0888, 353 रकबा 0.0400, 354 मी. रकबा 0.0250 किता 10 कुल रकबा 0.7992 है0 भूमि का महेन्द्रसिंह पिता भगवानलाल 1071/7992, रामसिंह, निर्भयसिंह, संतोषसिंह, केसरसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह, गुलाबी बेवा प्रतापसिंह 1473/7992, नाहरसिंह, भुरीबाई, पुष्पाबाई, सुन्दरबाई पिता वरदा 2356/7992, मु. भंवरी बेवा हमेरा 988/7992, कालुसिंह पिता वरदा 392/7992, पुष्पाबाई पत्नी कालुसिंह निवासी शोभावास 531/7992, कालुसिंह पिता भगसिंह निवासी वणी 531/7992 प्यारसिंह पिता हमेरा राजपुत 650/7992 को आराजी नम्बर 354/1 रकबा 0.0150, 355 रकबा 0.0500 किता 2 कुल रकबा 0.0650 है0 भूमि का इदरीश खान पिता मोहम्मद हनीफ 1/2, शब्बीर खान पिता घीसु खान मुसलमान 1/2 को एवं आराजी नम्बर 340/1 रकबा 0.0196 है0 भूमि का सुगना कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह झाला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर